



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 268 राँची, मंगलवार,

26 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

28 अक्टूबर, 2021

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत स्वस्थ हो चुके मानसिक दिव्यांग जनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति।

ज्ञापांक-03/म०स०/दिव्यांगनज पुर्न0-424/2017-2042--माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर बाद संख्या WP (c)-412/2016, गौरव बंसल बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य में पारित आदेश में मानसिक मंदता से ग्रसित वैसे दिव्यांग जनों की चिकित्सा के उपरान्त भी विशेष आश्रय की आवश्यकता को देखते हुए, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने का न्यायादेश पारित है। उक्त क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वासहेतु Halfway Homes स्थापित करने संबंधी मार्ग निर्देश निर्गत है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद सं०- WP (c)-412/2016 में उत्पन्न अवमानना बाद संख्या- Cont.Pet(c) 1653/2018 में दिनांक 02.02.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देश के आलोक में Halfway Homes के संचालन हेतु रोड मैप तैयार कर उस पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है ।
3. उपरोक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देश के आलोक में तैयार Road Map के अनुसार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा राँची, पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद जिलों में 30-30 व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल तीन Halfway Homes का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा ।
4. प्रत्येक Halfway Home में भारत सरकार के निर्दिष्ट पद समूहों को चयनित स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा अंगीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक के आलोक में बाह्यस्त्रांत के माध्यम से कर्मियों को नियोजित करेंगे, जिनका पारिश्रमिक निम्नवत् होगा-

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की सं०	कोटि	न्यूनतम निर्धारित मासिक पारिश्रमिक	वार्षिक व्यय
1.	गृहपति	1	अतिकुशल	रु० 13877/-	रु० 1,66,524/-
2.	कार्यालय सहायक	1	अतिकुशल	रु० 13877/-	रु० 1,66,524/-
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Instructor)	1	अतिकुशल	रु० 13877/-	रु० 1,66,524/-
4.	सामाजिक कार्यकर्ता	1	अतिकुशल	रु० 13877/-	रु० 1,66,524/-
5.	रसोईया	2	कुशल	(रु० 11949/-x2)	रु० 2,86,784/-
6.	हेल्पर	2	अकुशल	रु० 8673/-	रु० 2,06,952/-
7.	प्रहरी	2	अकुशल	रु० 8673/-	रु० 2,06,952/-
8.	चिकित्सक	अंशकालिक	-	रु० 8000/-	रु० 96,000/-
9.	मनोचिकित्सक	अंशकालिक	-	रु० 8000/-	रु० 96,000/-

5. उपरोक्त वर्णित चिकित्सक तथा मनोचिकित्सक को प्रत्येक माह में 8 (आठ) बार Halfway Homes में जांच हेतु जाना अनिवार्य होगा जिसके लिए प्रत्येक भ्रमण पर रु० न्यूनतम 1000/- देय होगा ।
6. आवतक व्यय (अपारिश्रमिक) के अन्तर्गत निम्नवत्सूचीबद्ध इकाईयों हेतु प्रतिवर्ष में अधिकतम निर्धारित राशि आवंटित की जायेगी :-

क्रम सं०	इकाई	वार्षिक व्यय
1.	भवन का किराया	रु० 300000/- (रु० 25000/- प्रतिमाह के दर से)
2.	गृह का अनुरक्षण	रु० 180000/-
3.	प्रशासनिक व्यय	रु० 100000/-
4.	दवाईया / लैब खर्च	रु० 75000/-
5.	राशन की आपूर्ति	रु० 720000/- (रु० 2000/- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के दर से)
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) के लिए कच्चा सामग्री	रु० 100000/-
7.	विविध व्यय	रु० 200000/-
कुलयोग		रु० 16,75,000/- (सोलह लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र)

7. अनावतक व्यय के अन्तर्गत निम्नवत्सूचीबद्ध इकाईयों हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम निर्धारित राशि आवंटित की जायेगी :-

क्रम सं०	इकाई	वार्षिक व्यय
1.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) के लिए उपकरण (तीन वर्षों में एक बार)	रु० 250000/-
2.	फर्निचर, बेड, मैट्रेस	रु० 90000/- (रु० 3000/- प्रति व्यक्ति के दर से)
3.	रसोई उपकरण	रु० 25000/-
कुल योग		रु० 3,65,000/- (तीन लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)

8. संबंधित अस्पताल के मनोचिकित्सक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के पश्चात्ही स्वस्थ हो चुके मानसिक दिव्यांग जनों को प्रस्तावित Halfway Homes में हस्तांतरण किया जा सकेगा। Halfway Homes के अनुश्रवण हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन भी प्रशासी विभाग के निर्देशानुसार किया जायेगा।
9. उपरोक्त Halfway Homes में रहने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी, राँची से समन्वय स्थापित कर व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।
10. वित्तीय वर्ष 2021-22 से चयनित स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा Halfway Homes के संचालन हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।
11. वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजनान्तर्गत व्यय निम्नवत्बजट शीर्ष अंतर्गत किया जायेगा।
 - (क) जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना- वित्तीय वर्ष-2021-22 के बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02 समाज कल्याण, लघुशीर्ष- 796 जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष- AY Halfway Homes का संचालन-01 ;उपशीर्ष योजना- हॉफ वे होम का संचालन, विस्तृतशीर्ष - 06 अनुदान, इकाई 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)
 - (ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष -2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02 समाज कल्याण, लघुशीर्ष -101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उपशीर्ष - AY Halfway Homes का संचालन, उपशीर्ष योजना- हॉफ वे होम का संचालन-01. विस्तृत शीर्ष- 06 अनुदान, इकाई 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)।
12. दिनांक-21.10.2021 की राज्य मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक के मद सं0-04 के रूप में सम्मिलित स्वीकृत।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव
